(वाद संख्या–3692/4/5/2020)

24.01.2022

परिवादी, अंकु कुमार गुप्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत वार्ड नं0 शाहकुण्ड के ग्राम पंचायत दरियापुर अन्तर्गत वार्ड नं0–01 चन्द्रभानपुर के पुलिस एवं अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड के मिलीभगत से मुखिया, आलोक कुमार, संवेदक एवं कुछ असामिक तत्वों द्वारा परिवादी के निजी जमीन पर नल जल हेतु बोरिंग करने एवं हरे पेड़ को काटने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर के प्रतिवेदन व अनुलग्नित कागजातों के अनुसार परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच हेतु परिवादी एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में अंचल के सरकारी अमीन द्वारा दिनांक–18.08.2020 को जांच करायी गयी। उपरोक्त जांच में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि ‘‘बोरिंग एवं जल मिनार का दो पीलर खेसरा सं0–52 के अंश भाग पर है और खेसरा सं0–171 के मेढ़ पर है।’’ परिवादी खेसरा सं0–171 के 08डी0 भीठ वाली रैयती जमीन को अपना खतियानी जमीन बताते है। प्रतिवेदनानुसार सरकारी जमीन के मापी के अनुसार सरकारी बोरिंग एवं जल मिनार का निर्माण सरकारी भूमि पर ही किया गया है न कि परिवादी के रैयती जमीन पर।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कार्यपालक अभियन्ता के उपरोक्त प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है तथा उनका कथन है कि दिनांक–18.08.2020 को सरकारी अंचल अमीन, शाहकुंड द्वारा मापी नहीं किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड को उस दिन मापी किये जाने में अपनी अस्मर्थता व्यक्त की गयी थी। प्रतिवेदनानुसार परिवादी की ओर से प्रसंगाधीन मामले में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर

के समक्ष परिवाद दायर किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, जिसके विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गयी। प्रथम अपील में अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के समक्ष आवश्यक साक्ष्य/कागजात के साथ अपना रक्ष रखने हेतु परिवादी को निर्देश दिया गया है। परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से समस्त कागजात दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, भागलपुर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

प्रसंगाधीन मामला भूमि विवाद प्रतीत होता है जिसके संबंध में साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त ही निर्णय लिया जाना उचित होगा। परिवादी का मामला अभी तक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, भागलपुर, के समक्ष विचाराधीन है। अगर परिवादी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के आदेश से असंतुष्ट रहते हैं तो वह विधि–सम्मत विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं।

अतः प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक